राजस्थान में सहभागी विकेन्द्रीकृत नियोजन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला

31 जुलाई 2019
सभागार, पंचायती राज विभाग, राज्य सचिवालय, जयपुर

देश में 73वें संविधान संशोधन के पश्चात त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू हुए 25 वर्ष हो चुके है। इस यात्रा के दौरान प्रिया एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं ने शासन के साथ मिलकर पंचायती राज की संस्थाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। युवा नेतृत्व ने अपने अभिनव प्रयासों से स्थानीय स्वशासन एवं विकास के कई सफल उदाहरण प्रस्तुत किये है। किन्तु अभी भी इस दिशा में और अधिक संगठित एवं केन्द्रित प्रयासों की आवश्यकता है।

अलग–अलग अवसरों पर पंचायतों में योजना निर्माण का कार्य किया जाता है, परन्तु हर बार योजना बनाते समय हम कुछ बिन्दुओं पर ही केन्द्रित होकर रह जाते हैं। जबकि पंचायत के विकास के लिये और भी कई ऐसे काम हैं जिन्हें योजना निर्माण में शामिल किया जाना चाहिये। इसके तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से अंशदान, नकद दान, सामग्री दान तथा श्रम दान जुटाने जैसे कार्यों को भी चिन्हांकित करना चाहिये। आज सम्पूर्ण देश में विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन (Decentralized Participatory Planning) के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण किया जा रहा है। GPDP के आधार पर ही चौदहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित आयोग द्वारा सीधे पंचायतों के खाते में राशि हस्तांतरित की जा रही है। पंचायतों को यह राशि वहां की जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं स्वयं के वित्तीय स्त्रोतों को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। GPDP के निमार्ण के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध बजट/अन्य संसाधनों का आकलन करते हुए आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के गतिविधियों का चयन एवं उनका प्राथमिकीकरण किया जाता है, और ऐसा करने के पश्चात उस पर ग्राम सभा में सार्थक चर्चा करते हुए उसका अनुमोदन करवाया जाता है। यदि इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तो पूर्व की भांति कुछ लोग मिलकर ग्राम विकास की योजना बना लेंगे, जिसमें समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग, विशेषकर महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा।

यदि हम पिछले वर्षो की ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) का अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सामाजिक न्याय, आपदा प्रबंधन व आजीविका इत्यादि से जुड़े कार्यो की संख्या नहीं के बराबर है। स्वयं अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज), राजस्थान सरकार ने अपने पत्र में कहा है कि गत वर्षो की GPDP में निर्माण कार्यो के प्रस्ताव ज्यादा लिये गये है और इस वर्ष अर्थात 2020–21 में उपरोक्त मानव विकास के कार्य GPDP में परिलक्षित होने चाहिए।

''प्रिया'' देश और विदेश में सहभागी शोध और प्रशिक्षण के माध्यम से पिछले 37 वर्षों से कार्यरत एक गैर सरकारी संस्था है। यह देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाआं के सशक्तिकरण हेतु पिछले 25 वर्षों से प्रयासरत है। प्रिया भारत सरकार और कई राज्य सरकारों की विशेषज्ञ समितियों की सदस्य भी है। प्रिया पंचायती राज मंत्रालय की केन्द्रीय कार्यवाही समिति की भी सदस्य है तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिशासन (Governance) एवं विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन की विशेषज्ञ संस्था है। राजस्थान में प्रिया पिछले दो दशक से पंचायतों, स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

नीति आयोग के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में देश में नीचे से क्रमशः तीसरे और पाँचवें पायदान पर आता है, जो कि एक चिंता का विषय है। इस स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ–साथ पंचायतों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए वर्तमान में प्रिया राजस्थान के दो जिलों जयपुर (गोविंदगढ़ ब्लॉक) और बाँसवाड़ा (बाँसवाड़ा और तलवाड़ा ब्लॉक) के 104 पंचायतों में समुदाय, पंचायत एवं प्रशासन के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

पिछले एक वर्ष के दौरान हमे अपने कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पंचायतों की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के मुद्दों के साथ–साथ अन्य ''लो कॉस्ट – नो कॉस्ट'' गतिविधियों को भी शामिल करवाने में सफलता मिली है। हमारी इस सफलता के पीछे महिला सभाओं का बहुत बड़ा योगदान है। महिला सभाओं के आयोजन द्वारा न केवल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के मुद्दों की पहचान हुई, बल्कि इससे ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति (VHSWNC) तथा सामाजिक न्याय समिति (SJC) को सक्रिय बनाने में भी मदद मिली। हमारी ही तरह राज्य के कई अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं भी विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन एवं अभिशासन को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से GPDP निर्माण में लोगों की सहभागिता बढ़ाने एवं उनमें आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता व सामाजिक न्याय आदि के मुद्दों को जुड़वाने का प्रयास कर रही है। पर सभी को कहीं न कहीं नीतिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग एवं तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रिया द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2019 को (प्रातः 10.30 से सायं 4 बजे) सभागार, पंचायती राज विभाग, राज्य सचिवालय, जयपुर में विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन एवं अभिशासन पर कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि जमीनी हकीकत एवं चुनौतियों पर चर्चा करते हुए विकेन्द्रीकृत सहभागी नियोजन एवं अभिशासन को मजबूत करने की दिशा में आवश्यक कदम उठायें जा सकं। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला को पंचायती राज विभाग के साथ मिलकर आयोजित किया जा रहा है, ताकि कार्यशाला से प्राप्त सुझावों के आधार पर रणनीति बनाते हुए विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थायें साथ मिलकर कार्य कर सकें।

कार्यशाला में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जानी प्रस्तावित हैः

1. राजस्थान में ग्राम पंचायत विकास योजना – प्रयास एवं चुनौतियां।
2. सहभागी विकेन्द्रीकृत नियोजन और समावेशी विकास में महिला सभाओं की भूमिका।